<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 6 / 13</u> संस्थापन दिनांक :- 08 / 01 / 13 फाईलिंग नं. 233504001032013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

सरफराज उर्फ फर्रा पिता पीर खान उम्र 30 वर्ष, निवासी भीम नगर झोपड़ पट्टी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 08.02.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 07. 01.2013 को शाम 05:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत एरोड्रम के पास बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 07.01. 2013 को उप निरीक्षक टी.आर. धुर्वे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति एरोड्र्म के पास बोड़खी में हाथ में एक लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिये मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 5/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.01.2013 को शाम 05:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत एरोड्रम के पास बोड़खी में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

पी.एस. उइके (अ.सा.—4) ने यह प्रकट किया है कि वह थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। उसने टीआर धुर्वे के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। दिनांक 07.01.2013 को टीआर धुर्वे को सूचना मिलने के उपरांत वे एरोड्रम के पास बोड़खी पहुंचे थे जहां पर अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लिए लोगों को डरा धमका रहा था जिस पर टीआर धुर्वे द्वारा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श पी—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तथा गया था तथा थाना वापस आकर अपराध क. 5/13 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—5) लेख की गयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि टीआर धुर्वे के द्वारा प्रकरण में मूल रोजनामचा सान्हा वापसी (प्रदर्श पी—6) भी प्रस्तुत किया गया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर टीआर धुर्वे के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

6 संतोष (अ.सा.—1) ने अपनी न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 07.01.2013 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान टीआर धुर्वे के साथ सूचना मिलने पर वह हमराह एरोड्रम के पास बोड़खी गया था जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डरा धमका रहा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा गया था तथा टीआर धुर्वे ने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त की थी एवं अभियुक्त को गिरफ्तारी किया था।

चिरोंजी (अ.सा.—2) एवं लक्ष्मण (अ.सा.—3) ने अपने समक्ष

7

अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इनकार किया है। साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उनके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

- 8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी चिरोंजी (अ.सा.—2) एवं लक्ष्मण (अ.सा.—3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर संतोष (अ.सा.—1) एवं पी.एस. उइके (अ.सा.—4) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 9 संतोष (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को टीआर धुर्वे के साथ करबा भ्रमण पर गया था। भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर वह टीआर धुर्वे के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा रहा था। टीआर धुर्वे के द्वारा अभियुक्त से छुरी जप्त की गयी और उसे गिरफ्तार किया गया था। पी.एस. उइके (अ.सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को टीआर धुर्वे ने अभियुक्त से लोहे की छुरी गवाहों के समक्ष जप्त की, उसे गिरफ्तार किया और थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी।
- 10 संतोष (अ.सा.—1) एवं पी.एस. उइके (अ.सा.—4) से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से मौके पर अभियुक्त से छुरी जप्त कर उसे सीलबंद किया जाना दर्शित नहीं हो रहा है। साथ ही जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। मौके पर जप्तशुदा छुरी की नापजोप की गयी हो, ऐसा किसी भी साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुआ है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है एवं निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.01.2013 को शाम 05:20 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत एरोड्डम के पास बोड़खी में लोक स्थान पर बिना

वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 2 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सरफराज उर्फ फर्रा को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)